भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AE 108780

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी
1/521, [illegible]
जिला [illegible] पत्रावली सं० 54304 (m)
नवीन वर्ष 2020-21 संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अनेक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AE 108781

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री लक्ष्मी एजूकेशन सोसाइटी
1521 गाजियाबाद
जिला गा०बाद पत्रावली सं० 54304 (G)
संशोधित स्मार्ट पत्र संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / लेखक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AE 287113

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री लक्ष्मी [illegible] सोसाइटी

1/52 वसुन्धरा

जिला ग़ाज़ियाबाद पत्रावली सं० 54304 (M)

संदीप त्रिपाठी संस्थापक [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / [illegible]

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

श्री लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी,

1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद

प्रबन्धकमेटी की सुचि वर्ष :-2020-2021

क्रम सं0.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा	1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्री आर.के. शर्मा पुत्र श्री देवीप्रसाद शर्मा	सी 105./707, नेताजी गली, भजनपुरा दिल्ली	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
3.	श्रीमती दीपिका गुप्ता पुत्री श्री गिरिश गुप्ता	1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद	सचिव	व्यापार
4	श्रीमती जयश्री दुबे पत्नी श्री प्रवीन दुबे	सी-105, एस.एफ- 2, रामप्रस्थ गाजियाबा	उपसचिव	डॉक्टर
5.	श्रीमती नीरा गुप्ता पत्नी श्री गिरीश गुप्ता	म0न0-94, चन्द्र नगर, गाजियाबाद उ0प्र0-201001	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	श्री अभिषेक गर्ग पुत्र श्री राहुल गर्ग	ए-27, देहली पुलिस अपार्टमेन्ट, मयूर विहार फेस-2, दिल्ली 91	सदस्य	नौकरी
7.	श्रीमती शिखा गर्ग पत्नी श्री अभिषेक गर्ग निवासी	27, दिल्ली पुलिस अपार्टमेन्ट, मयूर विहार, फेस-2, दिल्ली-91	सदस्य	नौकरी

FOR SHRI ... SOCIETY
CHAIRMAN

SECRETARY

Neera Gupta

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : श्री लक्ष्मी एजूकेशन सोसाइटी,
2. संस्था का पता : 1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश रहेगा।

4. संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. समाज के सभी वर्ग के उपेक्षित एवं गरीब और आर्थिक स्तर पर कमजोर, बेसहारा वर्ग के विकासोन्मुख हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
2. प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल, कॉलिजों, तकनीकि/व्यवसायिक, मैकेनिकल, कम्प्यूटर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना। पुस्तकालय, वाचनालय, कम्यूनिटि सेन्टर की स्थापना करना।
3. पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने के उपाय सुझाना एवं वृक्षारोपण निःशुल्क कार्यक्रम आदि का संचालन करना।
4. महिलाओं को आत्म निर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटिशियन, डांस, पेन्टिंग, संगीत, कम्प्यूटर आदि के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण देना।
5. पर्यावरण संरक्षण हेतु (जल,वायु, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी) एवं प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र आदि में शोध कार्य करना।
6. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण भूमि सुधार पशु-पक्षी संरक्षण एवं उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करना।
7. वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिये प्रयास करना तथा संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहयोग करना।
8. ग्रामीण तथा शहरी स्वच्छता शुद्ध पेयजल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक/अनुसचिव
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
06-1-2021

9. समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे बाल मजदूरी, नशीले पदार्थ एवं दहेज आदि को रोकने का प्रयास करना।

10. ललित कला के सम्बन्धी सृजनात्मक कार्य को सुचारू गति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र कार्यशाला मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफिक्स, भित्ती–चित्र आदि के निर्माण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

11. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन, गोष्ठियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि का निःशुल्क आयोजन करना।

12. कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करने एवं शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, शोध कार्य करना व इनके हेतु सभी आवश्यक कार्यों, यन्त्र, लैब, प्रयोगशाला, शीतगृह आदि की व्यवस्था करना।

FOR SHREE LAXMI EDUCATIONAL SOCIETY

SECRETARY

CHAIRMAN

Neera Gupta

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/लिपिक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री लक्ष्मी एजूकेशन सोसाइटी,
2. संस्था का पता : 1/521, मधुबन गाजियाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा।
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य स्मृति-पत्र के अनुसार रहेंगे।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

क- सदस्यता :

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, कोढ़ी न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ आजीवन सदस्य :

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये उसने संस्था को एक मुश्त 1100/- रु0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलावेगा।

ब साधारण सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये उसने संस्था को एक मुश्त 500/- रु0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दानस्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलावेगा।

स- जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये उसने संस्था को एक मुश्त 251/- रु0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सहयोगी सदस्य कहलावेगा।

द- मनोनीत सदस्य :-

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था का प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूस करना ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी समिति 3 वर्ष की अवधि के लिये अपने तीन-चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक चार होगी तथा ऐसे सदस्यों को प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

1. सदस्य द्वारा स्वयं त्याग पत्र दिये जाने पर।
2. सदस्य की मृत्यु होने पर।
3. सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम पाये जाने पर।
4. सदस्य द्वारा स्वयं संस्था विरोधी कार्य करते हुये पकड़े जाने पर।
5. सदस्यता शुल्क समय पर न अदा करने पर।
6. न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने पर अथवा दिवालिया होने पर।
7. सदस्य के किसी असामाजिक कृत्य में लिप्त पाये जाने पर।

FOR SHREE LAKSHMI EDUCATIONAL SOCIETY

CHAIRMAN

SECRETARY

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

8. **साधारण सभा का विस्तृत रूप :-**

क- गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख-बैठक :-

संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

संस्था की सामान्य बैठक के लिए सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व डाक तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घंटे पूर्व डाक अथवा स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी।

घ-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ङ-वार्षिक अधिवेशन :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा, जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च-साधारण सभा के अधिकार एंव कर्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2- आय-व्यय बजट पास करना।
3- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना
4- संस्था की निति निर्धारित करना।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति :**

क-गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा, जिसमें कम से कम 7 एंव अधिकतम 11 होंगी।

ख-बैठक :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक के लिये सूचना 7 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घंटे पूर्व स्पेशल मैसेन्जर दस्ती अध्यक्ष द्वारा दी जायेगी।

घ कोरम :-

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ङ कार्यकाल :-

गठन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

च-रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति शेष समय के लिये साधारण सभा अपने सदस्यों में से 2/3 बहुमत द्वारा की जायेगी।

छ-प्रबन्धकारिणी के अधिकार एंव कर्तव्य :-

1. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन करना।
2. संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

FOR SHREE LAKSHMI EDUCATIONAL SOCIETY
CHAIRMAN

SECRETARY

Neera Gupta 06-1-2021

12. <u>संस्था का कोष</u> :-
संस्था का कोष किसी भी प्राईवेट/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा, खाते का संचालन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

13. <u>आय-व्यय का परीक्षण व ऑडिट</u> :-
संस्था के आय-व्यय का वार्षिक ऑडिट मनोनीत सदस्य द्वारा कराया गया ऑडिट ही मान्य होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14. <u>कानूनी कार्यवाही</u> :-
संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव के संचालन में अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा होगी।

15. <u>संस्था के अभिलेख</u> :-
सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश-बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो रखे जायेंगे।

16. <u>संस्था का विघटन</u> :-
संस्था के विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13-14 के अन्तर्गत की जायेगी।

<u>अनुबन्धक</u>

1- विद्यालय का पंजीकरण सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
2 विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं कि जायेगी यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्ते प्राप्त वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जो निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रारूप/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
10- उक्त शर्तों के बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

FOR SHREE LAKSHMI SECONDARY ...

SECRETARY

सत्यप्रतिलिपि।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

06-1-2021

3. आय-व्यय बजट तैयार करना।
4. अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हो।
5- संस्था की आय में लाभार्थ हेतु भूमि का क्रय विक्रय करना, भूमि एवं भवन को लीज, पट्टे पर लेना व देना बंधक रखने का अधिकार लेना व देना आदि सभी संस्था के हित में सभी आवश्यक कार्यों का संचालन करना

10. <u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :-

<u>अध्यक्ष</u> :-

1. समिति की आम तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना जिससे संस्था प्रगति की ओर अग्रसर हो।
3. सभाओ, कार्यक्रमों की दिनांक, समय निर्धारण करना।
4. संस्था के समस्त वाउचरो, अभिलेखो पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित करना।

उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे समस्त कार्य करना जो अध्यक्ष को निहित होते है।

<u>सचिव</u> :-

1. संस्था के अभिलेखो का रख-रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण करना।
2. संस्था के अन्तर्गत संचालित यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3. समिति के हित में हित का कार्य भी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा करना।
4. संस्था सम्बन्धी किसी भी कार्य को करने से पहले अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
5. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, सम्पर्क, चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयो, विभागो, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।
6. संस्था के द्वारा संचालित, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियो की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
7. संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग-पत्र की संस्तुति करना।

<u>उपसचिव</u> :-

सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट कार्य को सम्पन्न करना व वे समस्त कार्य करना जो सचिव को निहित होते है।

<u>कोषाध्यक्ष</u> :-

1. संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना।
2. संस्था के आय-व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
3. अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11-<u>नियमों में परिवर्तन</u> :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

FOR SHREE LAKSHMI EDUCATIONAL SOCIETY

SECRETARY

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अनेक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

06-1-2021

श्री लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी,-1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद

साधारण सभा की कार्यवाही

आज दिनांक 04.08.2020 को प्रातः 11.00 बजे संस्था श्री लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी,-1/521, वसुन्धरा गाजियाबाद के संस्था के साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा की अध्यक्षता में पूर्व एजेण्डानुसार कार्यालय प्रांगण में सम्पन्न हुई जिसमें कुल 07 सदस्यों में से 06 सदस्य उपस्थित रहे सभा का कोरम पूरा रहा और निम्नवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव स0-1 :-

गत प्रस्ताव की पुष्टि पर विचार.

सभा मे आये सभी सदस्यो को सचिव महोदय जी पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुनाया, सभी सदस्यो ने गहनतापुर्वक उक्त कार्यवाही प्रस्ताव को सुना व विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव की पुष्टि की।

प्रस्ताव स0-2,

संस्था के पंजीकृत स्मृति पत्र व नियमावली में संशोधन पर विचार.

सभा में उपस्थित सभी सदस्यो के समक्ष अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि समिति के पूर्व में संशोधित नियमावली व पंजीकृत स्मृति पत्र में कुछ संशोधन किया जाना संस्था के हित एंव कार्यो के सुचारु रूप से संचालन हेतु नितांत आवश्यक है, उक्त संशोधन निम्न प्रकार से है :-

संस्था के स्मृति पत्र में संशोधन

संशोधन न0-1

संस्था के उद्देश्यो में कृषि सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु 12वें क्रम. में एक नया उद्देश्य सम्मलित किया गया है जो कि निम्न है-

12. कृषि कार्यो को प्रोत्साहित करने एंव शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, शोध कार्य करना व इस हेतु सभी आवश्यक कार्यो, यन्त्र, लैब, प्रयोगशाला, शीतगृह आदि की व्यवस्था करना।

संस्था की नियमावली में संशोधन पर विचार

संशोधन न0-1 नियमावली के बिन्दु 09 के उपबिन्दु छ के उपबिन्दु 05 पूर्व में	नियमावली के बिन्दु 09 के उपबिन्दु छ के उपबिन्दु 05 वर्तमान मे
संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल-अचल सम्पत्ति विभिन्न श्रोतो से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।	संस्था की आय मे लाभार्थ हेतु भूमि का क्रय विक्रय करना, भूमि एवं भवन को लीज, पट्टे पर लेना व देना बंधक रखने का अधिकार लेना व देना आदि सभी संस्था के हित मे सभी आवश्यक कार्यो का संचालन करना।

उपस्थित सभी सदस्यो ने गहनतापुर्वक उक्त संशोधन को संस्था के हित में उपयुक्त पाते हुये सर्वसम्मति से पास किया, अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण सभा का जलपान कर समापन किया।

सत्यप्रतिलिपि।

SHREE LAKSHMI EDUCATIONAL SOCIETY

CHAIRMAN